



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259223
CG-DL-E-06122024-259223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4868]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2024/अग्राहायण 15, 1946

No. 4868]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024

50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए
बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 5261(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/ पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) यह 6 जून, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5178(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2181(अ), तारीख 4 जून, 2024 और का.आ. 3938(अ), तारीख 13 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2024

TEXTILES — HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) / POLYPROPYLENE (PP) WOVEN SACKS FOR PACKAGING OF 50 KG CEMENT (QUALITY CONTROL) THIRD AMENDMENT ORDER, 2024

S.O. 5261(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Third Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of June, 2025.”

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 5178(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 2181(E), dated 4th June, 2024 and S.O. 3938(E), dated 13th September 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024

50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 5262(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा. सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए लैमिनेटिड, ब्लॉक बॉटम वॉल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) यह 6 जून, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5179(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2182(अ), तारीख 4 जून, 2024 और का.आ. 3939(अ), तारीख 13 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2024

TEXTILES —POLYPROPYLENE (PP) WOVEN, LAMINATED, BLOCK BOTTOM VALVE SACKS FOR PACKAGING OF 50 KG CEMENT (QUALITY CONTROL) THIRD AMENDMENT ORDER, 2024

S.O. 5262(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Third Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of June, 2025.”

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5179(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2182(E), dated 4th June, 2024 and S.O. 3939(E), dated 13th September 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024

डाक की छटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 5263(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, डाक की छटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डाक की छटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. डाक की छटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा- पॉलीप्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटिड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह 6 जून, 2025 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5181(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2183(अ), तारीख 4 जून, 2024 और का.आ. 3940(अ), तारीख 13 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2024

TEXTILES —POLYPROPYLENE (PP)/ HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) LAMINATED WOVEN SACKS FOR MAIL SORTING, STORAGE, TRANSPORT AND DISTRIBUTION (QUALITY CONTROL) THIRD AMENDMENT ORDER, 2024

S.O. 5263(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Third Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of June, 2025.”

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5181(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2183(E), dated 4th June, 2024 and S.O. 3940(E), dated 13th September 2024.